अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 197 / 2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम नवगछिया, भागलपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 197 / 2026
नवगछिया थाना कांड संख्या – 310 / 2025
अन्तर्गत धारा :– 306 बी0एन0एस0

1. विनोद महतो उर्फ रोहित महतो ..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार ..... अभियोजन पक्ष

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री रविन्द्र कुमार
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री परमानंद साह

05.06.2026 आवेदक अभियुक्त विनोद महतो उर्फ रोहित महतो की ओर से नवगछिया थाना कांड संख्या – 310 / 2025 में गिरफ्तारी की आशंका से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आगे कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं और उन्हें इस मुकदमा में झुठा फंसाया गया है। आरोपित धारा 306 बी0एन0एस0 आवेदक अभियुक्त पर लागु नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त का नाम इस वाद में सह अभियुक्त कबुतरी देवी उर्फ पूनम देवी के सफाई बयान के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक अभियुक्त के दखल से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। इस वाद के सह अभियुक्त कबूतरी देवी उर्फ पूनम देवी का जमानत दिनांक 17.10.2025 को श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम नवगछिया द्वारा दिया गया है। उक्त घटना में आवेदक अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने एवं धारा 482(2) बी0एन0एस0 के शर्तों के अनुपालन के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाय।

सूचिका, कुंती देवी के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में वादी का कथन है कि दिनांक 26.09.2025 को समय करीब 11 बजे दिन में अपना जेवर पहहने के लिए आलमारी खोलने आयी तो आलमारी का लॉक पहले से खुला हुआ था जिसे देखकर सूचिका चौंक गयी तथा तुरंत अपने आलमारी को खोला तो देखा कि अंदर का लॉकर का भी लॉक खुला हुआ था तथा उसमें रखा सूचिका का सारा सोने का जेवर जो करीब 15 भर का था गायब था। सूचिका द्वारा पुरी आलमारी का छान मारा गया जब सूचिका का उक्त जेवर नहीं मिला तब सूचिका को यकीन हो गया कि इनका उक्त सारा जेवर चोरी हो गया है। सूचिका जहां उपर में रहती है वहां कोई भी बाहरी आदमी का आना जाना नहीं है। सूचिका के घर में सिर्फ एक दाई कबूतरी देवी उर्फ पूनम देवी काम करती है, जिसका मो0 नंबर 9570458743 है। करीब एक वर्ष से सूचिका के घर में नीचे उपर काम करती है वही सिर्फ सूचिका के बेडरूम में आती जाती है। जब सूचिका द्वारा घर में लगे सीसीटीभी कैमरे का फुटेज का जांच किया तो पाया कि उक्त दाई दिनांक 21.09.2025 को समय 4:15 बजे शाम को उक्त लॉकर वाले कमरे में घुसी है उसके बाद करीब 10 मीनट के बाद उस कमरे से निकली है। जब दिनांक 26.09.25 को जब सूचिका अपने जेवर का खोजबीन कर रही थी तभी उक्त दाई ने अपने मुंह से कोई जेवर उगलकर अपने हाथ में लेकर छत पर चली गई जो कि सीसीटीभी के फुटेज को देखने से साफ एवं स्पष्ट पता चलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दाई ने सूचिका के घर से दिनांक 17.09.25 से आजतक कोई न कोई जेवर लेकर जाती रही है क्योंकि दिनांक 16.09.2025 तक सूचिका अपना उक्त सारा जेवर अपने आलमारी के लॉकर में सही सलामत देखी थी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 197 / 2026

लगातार

05.06.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद नहीं हैं तथा प्राथमिकी में इनका नाम इस वाद की सह अभियुक्ता आवेदक अभियुक्त की पत्नी कबूतरी देवी उर्फ पूनम देवी के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप गंभीर है। अतः जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रचालित अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख के साथ कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 8 में साक्षी का कथन है कि करीब एक साल पहले दाई कबूतरी देवी मेरे घर पर करीब एक महीना काम करने आयी थी जिसको मेरे घर में एक चांदी का चेन और दो जोड़ा बिछिया चोरी होने के बाद मैंने कबूतरी उर्फ पूनम देवी को अपने घर में काम करने आने से मना कर दिया था। कंडिका 26 में इस वाद की मुख्य अभियुक्ता कबूतरी देवी उर्फ पूनम देवी का सफाई बयान है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि मैं काम के बहाने गहना वाला रूम में जाती थी और चाभी से गोडरेज खोलकर प्रतिदिन एक गहना चुराती थी और अपने कपड़े के अंदर छुपाकर काम करने के बाद घर चली आती थी और सभी गहना अपने पति को दे देती थी। इस तरह आवेदक अभियुक्त पर चोरी का सामान अपनी पत्नी सह अभियुक्ता कबूतरी देवी उर्फ पूनम देवी से प्राप्त किये जाने का आरोप है। प्रस्तुत वाद में अभी अनुसंधान जारी है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप गंभीर है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त विनोद महतो उर्फ रोहित महतो की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

ह0 / –

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
नवगछिया, भागलपुर।